(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 26/2020- सीमाशुल्क (एडीडी)
नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त, 2020

सा.का.नि. (अ.) - जहां कि कोरिया गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "फास्फोरिक एसिड के सभी ग्रेडों और सभी सांद्रणों (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर)" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2809 20 10 के अंतर्गत आती है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 45/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 24 अगस्त, 2015, जिसे सा.का.नि. 652 (अ), दिनांक 24 अगस्त, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/28/2019--डीजीटीआर, दिनांक 27 दिसम्बर, 2019 के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षों, जिसे की अधिसूचना संख्या 7/28/2019-डीजीटीआर, दिनांक 6 अगस्त, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

(i) विषयगत देश से विषयगत वस्तु की यहां भरमार होती जा रही है और यदि यह शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो बहुत कम कीमत पर इसका भारत के बाजार में आयात होने लगेगा;
(ii) विषयगत देश से होने वाले फालतू आयात के कारण यहां के घरेलू उद्योग को लगातार क्षति हुई है;
(iii) रिकार्ड में मौजूद जानकारी से यह पता चलता है कि यदि इस स्तर पर लागू प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो ऐसा फालतू आयात जारी रहेगा और इस प्रकार की क्षति होती रहेगी;
(iv) ऐसे पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं जो यह संकेत देते हैं कि यदि इस स्तर पर इस प्रतिपाटन शुल्क को वापस ले लिया जाता है तो इस प्रकार की भरमार होती रहेगी और घरेलू उद्योग को इस प्रकार की क्षति होती रहेगी,

और उन्होंने विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित इस विषयगत वस्तु के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 45/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 24 अगस्त, 2015, जिसे सा.का.नि. 652 (अ), दिनांक 24 अगस्त, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जिसकी विशेषता कॉलम (4) में दी गई है जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है तथा भारत में आयातित है पर कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (10) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	विशेषता	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	मुद्रा	माप इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	2809 20 10	फास्फोरिक एसिड	सभी ग्रेडों और सभी सांद्रणों (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर)	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य समेत कोई भी देश	कोई भी	137	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन
2.	2809 20 10	फास्फोरिक एसिड	सभी ग्रेडों और सभी सांद्रणों (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर)	कोरिया गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी	137	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या 354/108/2009 -टीआरयू (पार्ट-।।)]

(गौरव सिंह**)**
उप सचिव, भारत सरकार